राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	विमलेश बनाम मुकेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 3 ल. 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/06/2014 के विरुद्ध अपील संख्या 46/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2015 के विरुद्ध अपीलार्थी विमलेश ढाका द्वारा अपील संख्या 45/2025 पेश की गयी। अपीलार्थी द्वारा खातेदार सोनी देवी वगैरहा से उनके हिस्से कब्जे काश्त के अनुसार विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 1144 में 12/408 हिस्सा दिनांक 07/06/2012 को क्रय किया गया था एवं क्रय के पश्चात नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 12/06/2012 को अपीलार्थी के हक़ में तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बगैर प्राथमिक निर्णय व पारित करने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को सुचना/नोटिस जारी किये बगैर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये। विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के हिस्से में बने बोरवेल रेस्पो. को दे दिये गये, जो 3 एयर भूमि है एवं न्यायालय के समक्ष 3 एयर बोरवेल के विरुद्ध रिलीफ चाही गयी है तथा शेष निर्णय यथावत रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2015 पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नही थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29/12/2024 को अपने खेत में जाने पर रेस्पो. द्वारा कब्जा खाली करने की धमकी दिये जाने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में बताये जाने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई, इस पर अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रति दिनांक 03/01/2025 को प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अत: दोनों अपीले अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य कथन रही रहा है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1144 में से दिनांक 07/06/2012 को भूमि क्रय कर ली गयी है तथा उक्त क्रय के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 12/06/2012 भी अपीलार्थी के हक़ में तस्दीक कर दिया गया तथा अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विमलेश बनाम मुकेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ही अपीलार्थी के बोरवेल विभाजन में रेस्पो. को दे दिये गये है | अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सन्दर्भ में बहस के दौरान कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है | ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुन: विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/06/2014 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2015को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, बाद सुनवाई पक्षकारान आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार दोनों अपील संख्या 46/2025 एवं 45/2025 निस्तारित की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर